न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 18 सन 2019

अनवान :–

1. जगमोहनसिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी हरिनों तहसील फरीदकोट।

वादी

बनाम

1. साधुसिह पुत्र बचनसिह जाति जटसिख निवासी हरिनों तहसील फरीदकोट।
2. जीवणसिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी हरिनों तहसील फरीदकोट
3. सुखदेवकौर पत्नि गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरिनों तहसील फरीदकोट
4. परमिन्द्रसिह 5 कमलजीतसिह 6 चरणजीतसिह पि0 गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरिनों तहसील फरीदकोट
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10/01/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 31/26 की कुल 0.532हैक जिसमें दानकौर का सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा , रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 88/28 की कुल 20.7330हैक जिसमें वादी की दादी दानकोर का सयुक्त तौर से 223 1/6 हिस्से एवं चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 100/92 की कुल 1384010हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/6 हिस्से दानकौर के नाम से दर्ज है। वादी की दादा दानकौर का देहान्त हो चुका है जिसके दो लडके साधुसिह व गुरप्यारसिह हुये जिसमें से गुरप्यारसिह का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है साधुसिह के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 है इसप्रकार दानकोर के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादी के नाम से दर्ज थी वादी की दादा दानकौर का देहान्त हो चुका है जिसके दो लडके साधुसिह व गुरप्यारसिह हुये जिसमें से गुरप्यारसिह का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है साधुसिह के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 है इसप्रकार दानकोर के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिलस किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की दादी दानकोर के नाम से दर्ज है वादी की दादा दानकौर का देहान्त हो चुका है जिसके दो लडके साधुसिह व गुरप्यारसिह हुये जिसमें सें गुरप्यारसिह का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है साधुसिह के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 है इसप्रकार दानकोर के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है एवं उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा भी पेश किया जा चुका है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 31/26 की कुल 0.532हैक में सयुक्त तोर से दानकोर के नाम से दर्ज हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 88/28 की कुल 20.7330हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1.4115हैक एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 100/92 की कुल 13.8400हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है मृतक दानकोर पत्नि बचनसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official